न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1940 / 2025
लालगंज थाना कांड सं0–417 / 2023
धारा– 406, 420 I.P.C. & 138 of N.I. Act.

Web Copy Not Official

22.07.2026 आवेदक राजीव कुमार चौधरी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन लालगंज थाना कांड सं0–417 / 2023 मे दर्ज मुकदमे मे गिरफ्तारी के आशंका से दाखिल किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित हैं।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक शंभु नाथ सिंह द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष लालगंज को इस आशय का दिया गया कि मेरे ही ग्राम के राजीव कुमार चौधरी मकान बनाने एवं जमीन खरीदने के लिए मुझसे रूपये की मांग किया गया तो मैने उसे दे दिया, बाद मे रूपये की तगादा करने पर उसने हमे चेक दिया जिसे बैंक मे यह कहकर वापस कर दिया गया कि खाता मे पर्याप्त राशि नहीं है। राजीव कुमार चौधरी के पास कुल 14 लाख रूपया बकाया रहा गया जिस संबंध मे नोटिस भेजवाया जिसका जबाब नही दिया न ही रूपया वापस किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। अभियुक्त ने सूचक से रूपया लिया था तथा दोनो के बीच लेन–देन का काम चलता था। उभय पक्षो के बीच सुलह हो गयी है तथा अभियुक्त द्वारा अभी दो डिमान्ड ड्राफ्ट चार–चार लाख रूपया का प्रदान किया गया है। शेष चार लाख रूपया भी आगे दे दिया जायेगा, जिससे सूचक सहमत है। आगे निवेदन किया गया कि आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर उपस्थित है। सूचक के विद्वान

अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि सूचक को आठ लाख रूपया दो डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से आज प्राप्त हो गया है, शेष चार लाख रूपया अभियुक्त बाद मे भुगतान करेगा, आगे सूचक द्वारा लिखित रूप से अग्रिम जमानत प्रदान करने मे आपति नहीं किया गया।

उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। दोनो पक्ष न्यायालय मे उपस्थित हैं और उनलोगों के मध्य समझौता भी हो गया है तथा समझौते के आलोक मे कुल 8,00,000/– (आठ लाख) रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी सूचक ने आज न्यायालय मे ही प्राप्त कर लिया और इसके आलोक मे वह अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध भी नहीं करना चाहते है। शेष बची 4,00,000/– (चार लाख) रूपये की राशि सूचक को उस तिथि को देय होगी जब वह आकर समझौते के आलोक मे न्यायालय मे अपना साक्ष्य अंकित करायेगा। अतः उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता हैं। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करें तथा 10,000/– (दस हजार) रूपये के दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता हैं।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

पत्रांक– **दिनांक–**

अग्रसारितः

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

View Copy not Official

Date of Judgment/Order	22-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	22-07-2026
Uploading Date	25-07-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official